अपीलीय सिविल

प्रेम चंद पंडित जे.

जौहरी मल उर्फ जौहरी - **अपीलकर्ता**

बनाम

सुखन लाल और अन्य - **प्रतिवादी**

1965 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1189

3 अप्रैल, 1967.

सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम (1908 का 5) - आदेश। नियम 4 और आदेश XXIII नियम 3 - पावर ऑफ अटॉर्नी में उल्लिखित वकील का नाम, जो स्वीकृति के प्रतीक के रूप में उसके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है - विभिन्न तिथियों पर मुकदमे में उपस्थित होने वाला वकील - क्या कहा जा सकता है कि उचित रूप से नियुक्त किया गया है - पार्टियों और उनके वकील के बयानों के अनुसार डिक्री पारित की गई है - क्या कानूनी है।

यह अभिनिर्णित किया गया कि यदि वकील का नाम अटॉर्नी की शक्ति के मुख्य भाग में दिखाई देता है, जिस पर स्वीकृति के प्रतीक के रूप में उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है, लेकिन वकील विभिन्न तिथियों पर मुकदमे में उपस्थित हुआ है, तो वकील के रूप में उसकी नियुक्ति पूरी तरह से वैध और कानूनी है और उसके पास अपने मुवक्किल की ओर से कार्य करने का अधिकार है। ट्रायल कोर्ट में अपने मुवक्किल के लिए पेश होने के आचरण से यह माना जाता है कि वकील ने अपनी नियुक्ति स्वीकार कर ली है।

यह अभिनिर्णित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII नियम 3 के प्रावधानों के तहत जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित एक मुकदमा पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी कानूनी समझौते द्वारा समायोजित कर दिया गया है, तो वह समझौता करने का आदेश देगा। दर्ज किया जाएगा और फिर उसके

अनुसार डिक्री पारित की जाएगी। वर्तमान मामले में, दोनों पक्षों ने गंभीर पुष्टि के साथ एक संयुक्त बयान दिया और कहा कि उनके बीच उक्त बयान में उल्लिखित शर्तों पर समझौता हो गया है। बयान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया था और पार्टियों और उनके वकील द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था और उसके बाद, उसी समय, अदालत ने आदेश दर्ज किया था कि पार्टियों ने अपने विवाद से समझौता कर लिया था और उसके सामने बयान दिए थे जो उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित थे। सलाह. समझौते की शर्तों को देखते हुए फिर डिक्री पारित की गई। ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई थी और आदेश XXIII नियम 3, सी.पी.सी. के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन किया गया था। यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय पहले औपचारिक आदेश दे कि उक्त समझौते को दर्ज किया जाए और उसके बाद इसे दर्ज किया जाए।

श्री फौजा सिंह गिल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहता, गुड़गांव की अदालत के 28 अप्रैल, 1965 के फैसले से दूसरी अपील, श्री चुन्नी लाल कालरा, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी की पुष्टि करते हुए , पलवल, दिनांक 31 जुलाई, 1964, वादी को 1 फरवरी, 1965 तक £2600 के भुगतान पर प्रतिवादी के खिलाफ गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए पार्टियों द्वारा किए गए समझौते के संदर्भ में एक डिक्री प्रदान करता है। एएनए ने आगे आदेश दिया कि प्रतिवादी पहले से ही वहां पड़े मालबा का निपटान नहीं करेगा या जो उस अंतराल के दौरान जमा हो सकता है और निर्देश दिया कि उस राशि के भुगतान पर प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति का कब्जा सौंप देगा, ऐसा न करने पर वादी का मुकदमा रद्द कर दिया जाएगा। बर्खास्त किया हुआ समझा जायेगा. निचली अपीलीय अदालत ने पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया।

अपीलकर्ता की ओर से जिनेंद्र कुमार और पी.एस. ठाकुर, अधिवक्ता,

प्रतिवादियों की ओर से पी. सी. जैन, अधिवक्ता।

निर्णय

पंडित, जे.- जौहरी मल, अपीलकर्ता, ने सुखन लाल और पांच अन्य, प्रतिवादी 1-6 के खिलाफ रुपये के भुगतान पर एक घर को छुड़ाकर कब्जे में लेने के लिए मुकदमा दायर किया था। 1,850. उत्तरदाताओं 2-6 ने अपने बंधक अधिकार सुखन लाल, प्रतिवादी नंबर 1 को एक पंजीकृत विलेख द्वारा बेच दिए थे, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य प्रतिस्पर्धी प्रतिवादी प्रतिवादी नंबर 1 था। मुकदमे की लंबितता के दौरान, 31 जुलाई, 1964 को, दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जौहरी मल और सुखन लाल के बेटे और मुख्तार-ए-खास, जौहरी मल और रघुनाथ दास ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक संयुक्त बयान दिया। इस बयान पर उनके संबंधित अधिवक्ताओं, श्री लखनपाल और श्री किरपा राम द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद, अदालत ने उसी तारीख को निम्नलिखित आदेश दर्ज किया:-

"पक्षों ने विवाद से समझौता कर लिया है और उपरोक्त बयान दिए हैं, जिन पर पार्टियों के वकील द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। इन बयानों के मद्देनजर प्रतिवादी के खिलाफ वादी के पक्ष में रुपये के भुगतान पर गिरवी संपत्ति की वापसी का डिक्री पारित किया जाता है। 1 फरवरी, 1965 तक 2,600। हालाँकि, प्रतिवादी पहले से ही वहाँ पड़े मालबा का निपटान नहीं करेगा या जो इस अंतराल के दौरान जमा हो सकता है। इस राशि के भुगतान पर प्रतिवादी वाद संपत्ति का कब्जा सौंप देगा। यदि वादी उस तिथि तक भुगतान नहीं करता है, तो प्रतिवादी उस पर कब्ज़ा बनाए रखने का हकदार होगा, और मुकदमा खारिज कर दिया गया माना जाएगा।

जौहरी मल उर्फ जौहरी बनाम सुखन लाल, आदि (पंडित, जे.)

इस आदेश के खिलाफ, जौहरी मल ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने इसे खारिज कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान दूसरी अपील दायर की गई। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया पहला तर्क यह था कि मौजूदा मामले में समझौता कानून की दृष्टि से बुरा था क्योंकि आदेश 23, नियम 3, नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का ठीक से अनुपालन नहीं

किया गया था। न्यायालय को पहले औपचारिक आदेश देना चाहिए था कि उक्त समझौते को दर्ज किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस संबंध में मुख्य रूप से श्रीमती साबित्री ठकुराइन बनाम ई.ए. सावी और अन्य (1), सरदार और पबन बनाम भूपेन्द्र नाथ नाग (2) पर भरोसा रखा गया था। इस विवाद में कोई दम नहीं है. आदेश 23, नियम 3, सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत। जब अदालत इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि उसके समक्ष लंबित किसी मुकदमे को किसी कानूनी समझौते द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से समायोजित कर दिया गया है, तो वह उस समझौते को दर्ज करने का आदेश देगी और फिर उसके अनुसार एक डिक्री पारित करेगी। वर्तमान मामले में, दोनों पक्षों ने गंभीर पुष्टि के साथ एक संयुक्त बयान दिया और कहा कि उनके बीच उक्त बयान में उल्लिखित शर्तों पर समझौता हो गया है। बयान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया था और पार्टियों और उनके वकील द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था और उसके बाद उसी समय, अदालत ने आदेश दर्ज किया था कि पार्टियों ने अपने विवाद से समझौता कर लिया था और उनके सामने बयान दिए थे जिन पर उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए थे। सलाह. समझौते की शर्तों को देखते हुए फिर डिक्री पारित की गई। मेरी राय में, ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई थी और आदेश 23, नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन किया गया था। विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है उनका कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि वे तथ्यों पर स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

विद्वान वकील का अगला तर्क यह था कि रघुनाथ दास अपने पिता सुखन लाल के मुख्तार-ए-खास नहीं थे। यह फिर से गलत है. रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस मामले में लिखित बयान रघुनाथ दास ने अपने पिता सुखन लाल के मुख्तार-ए-खास के रूप में दायर किया था। इस मामले में उनके पक्ष में विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी भी पेश की गई थी।

(1) ए.आई.आर. 1927 पटना 354.

(2) आईएलआर. (1916) 43 कलकत्ता 85.

अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि श्री किरपा राम सुखन लाई के वकील नहीं थे। यह आपत्ति फिर से व्यर्थ है. सबसे पहले, जब मुख्तार-ए-खास ने स्वयं बयान पर हस्ताक्षर किए थे, तो वकील को उस पर हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरे, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने बताया, रिकॉर्ड पर 3 फरवरी, 1964 की एक पावर ऑफ अटॉर्नी थी, जिसके द्वारा सुखन लाई ने श्री किरपा राम और श्री माही पाल सिंह दोनों को अपने वकील के रूप में नियुक्त किया था। इस दस्तावेज़ के मुख्य भाग में, दोनों अधिवक्ताओं के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे, एक आकस्मिक चूक के कारण, श्री किरपा राम, अधिवक्ता, अपने हस्ताक्षर करना भूल गए थे, क्योंकि यह केवल हस्ताक्षरित था श्री महिपाल सिंह द्वारा। हालाँकि, श्री किरपा राम अन्य सुनवाइयों में भी सुखन लाई की ओर से मामले में उपस्थित रहे थे और इससे पता चलता है कि वह प्रतिवादी नंबर 1 के वकील थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके आचरण से यह पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट में प्रतिवादी ने उसे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी स्वीकार कर ली थी। किसी अन्य बिंदु पर बहस नहीं की गई।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुखन लाई या कोई अन्य प्रतिवादी समझौते पर कोई आपत्ति नहीं उठा रहा है। एकमात्र जौहरी माई ही उक्त समझौते से असंतुष्ट नजर आती हैं और कोई न कोई आपत्ति लेकर इससे पीछे हटना चाहती हैं। निस्संदेह, उन्होंने अपने वकील की उपस्थिति में गंभीर प्रतिज्ञान पर बयान दिया था, जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर भी किए थे। अब उनके मुंह में यह बात नहीं रह गई है कि व्यर्थ की आपत्तियां लेकर उक्त समझौते से बाहर निकलने की कोशिश की जाए।

नतीजा यह हुआ कि यह अपील विफल हो गई और जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा